राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1976/2024

डॉ. अश्विनी कुमार व्यास **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर (राज.)।
2. अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.06.2024

आदेश की दिनांक : 12.06.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अनूप पारीक, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 12.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को उक्त स्थान पर कार्य कर रहा है, परंतु अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.06.2024 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है, जो पूर्व में जारी आदेश दिनांक 22.02.2024 के क्रम में अपीलार्थी को मेडिकल कॉलेज, कोटा स्थानान्तरण किया गया था। उनका कथन है कि अपीलार्थी का 5 बार स्थानान्तरण किया जा चुका है। जबकि अपीलार्थी लोको मोटर डिस्एबल है जो 61 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है। अपीलार्थी जयपुर जिले का निवासी है और

उसका स्थानान्तरण कोटा जिले में किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को दिनांक 11.03.2024 को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया है और जबकि अपीलार्थी को निम्नतर पद सहायक आचार्य के पद पर स्थानान्तरित किया गया है, जो नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन संख्या 215/2002 विरेन्द्र सिंह हुड्डा व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.10.2004 ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 423 एन.के.सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 1748 भारतीय स्टेट बैंक बनाम अंजन सायल व अन्य की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.06.2024 एवं 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.06.2024 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है, जो पूर्व में जारी आदेश दिनांक 22.02.2024 के क्रम में अपीलार्थी को मेडिकल कॉलेज, कोटा स्थानान्तरण किया गया था। जबकि अपीलार्थी को सहायक आचार्य दर्शाते हुये स्थानान्तरण किया गया है और अपीलार्थी वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और आदेश दिनांक 11.03.2024 के द्वारा उसे पदोन्नत किया गया है। फिर भी अपीलार्थी को निम्नतर पद दर्शाते हुये स्थानान्तरण किया गया है। अनुलग्नक–6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी 61 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग/विकलांग है फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर जिले से कोटा जिले में किया गया है। ऐसी स्थिति में मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन

प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 08.06.2024 एवं 22.02.2024 का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी को अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य